

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 262] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 21, 1975/आषाढ़ 30, 1897

No. 262] NEW DELHI, MONDAY, JULY 21, 1975/ASADHA 30, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July 1975

S.O. 368(E)/IDRA/29B/75/4.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 98 (E)/IDRA/29B/73/1 dated the 16th February, 1973, namely:—

In the said notification, under the heading "Other undertakings", for item (c), the following item shall be substituted, namely:—

"(c) Existing undertakings which are registered, etc., under the Act.—
If an undertaking is an existing undertaking already covered by registration, licence or permission under the said Act, the existing investments together with the additional investments covered by approvals, permissions or licences already obtained by it and the proposed investment do not result in the total investment exceeding Rs. 5 crores."

[No. F.12(27)/Lic. Pol./74]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1975

का० प्र० 368 (अ)/आई० डी० आर० ए०/29ख/75/4 उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 98(अ)/आई० डी० आर० ए०/29ख/73/1 तारीख 16 फरवरी, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, “अन्य उपक्रम” शीर्षक के अन्तर्गत मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(ग) विद्यमान उपक्रम जो अधिनियम के अर्थात् रजिस्ट्रीकृत, अर्थात्—यदि कोई उपक्रम एक ऐसा विद्यमान उपक्रम है जो पहिले ही उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत, अनुज्ञप्त या अनुज्ञात है तो उसके द्वारा पहिले ही प्राप्त अनुमोदनों, अनुज्ञाओं या अनुज्ञप्तियों के अन्तर्गत आने वाले अतिरिक्त विनिधानों के सहित विद्यमान विनिधान और प्रस्थापित विनिधान कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपए से अधिक के विनिधान न हों।”

[सं० फा० 12(27)/लाइसेंस पॉल/74]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।